

१३१

भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 1969/अग्रहायण 10, 1891

No. 394]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 1969/AGRAHAYANA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND
CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 1969

S.O. 4785.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government in consultation with the Administration of Goa, Daman & Diu, hereby appoints the National Seeds Corporation Ltd., a company registered under the companies Act, 1956 (1 of 1956) as a certification agency for the Administration of Goa, Daman & Diu upto April 1970.

[No. F.8(3)/69-Seeds Dev.]

SARAN SINGH, Jt. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1969

एस० नो० 4785:—बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गोवा, दमन तथा दीव प्रशासन के परामर्श से अप्रैल

1970 तक के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक रजिस्टर्ड कम्पनी है, गोवा, दमन तथा दीव प्रशासन के लिए एतद्वारा प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० फा० 8 (3)/69—बीज विकास]

शरण सिंह संयुक्त सचिव,